

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

संख्या: 107(XIV)/XV

दिनांक मई 10, 2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 7356/Main(P)/Admin (A-3)/Allahabad दिनांकित 31-05-2019 के आलोक में एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय, गाजीपुर द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक 15-05-2025 से 30-06-2025 तक न्यायालय/कार्यालय की समयावधि प्रातःकालीन की जाती है। इस प्रातःकालीन समयावधि के दौरान कार्यालय का समय पूर्वान्ह 06:30 बजे से अपरान्ह 01:30 बजे तक तथा न्यायालय का समय पूर्वान्ह 07:00 से अपरान्ह 01:00 बजे तक तथा लंच का समय सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे का होगा।

उक्त आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को दी जाए तथा जनपद न्यायालय, गाजीपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाए एवं नोटिस बोर्ड पर चरपा की जाए।

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाए।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर 10/05/2025

संख्या: 107(XIV)/XV

दिनांक मई 10, 2025

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-- समस्त न्यायिक अधिकारीगण मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय, तहसील जखनिया एवं ग्राम न्यायालय, तहसील जमानिया गाजीपुर।
- 2-- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजीपुर।
- 3-- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, गाजीपुर।
- 4-- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, गाजीपुर।
- 5-- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित करें।
- 6-- अध्यक्ष/सचिव, समस्त बार संघ, जनपद गाजीपुर।
- 7-- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 8-- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 9-- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।
- 10-- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
- 11-- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, गाजीपुर।
- 12-- समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/फौजदारी/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/फौजदारी, जनपद गाजीपुर।
- 13-- केन्द्रीय नाजिर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की एक प्रति न्यायालय के सूचना पट्ट पर चरपा करवाना सुनिश्चित करें।
- 14-- सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 15-- समस्त कार्यालय जनपद न्यायालय गाजीपुर।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर 10/05/2025